

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)  
वाद पत्र सं0 : 50 सन 2016  
अनवान : -

1. सोना देवी पत्नी बुधराम जाति कुम्हार साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. जेठी देवी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

- वादीगण

**बनाम**

1. मीना देवी पत्नी चुन्नीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सुमित्रा पत्नी दमीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र ]
4. महावीर ] पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
5. कृष्ण
6. सरोज पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
7. बाबुलाल पुत्र रामधन जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. बृजलाल पुत्र रामधन जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. मैनेजर, स्टेट बैंक इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
10. मैनेजर, मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/06/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता स0 329/258 हाल जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स0 384/328 की कुल 11.0550 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का खाता व लगान संयुक्त है। वाद भूमि पक्षकरान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का सीवं, डोल व लगेत संबंधि तनाजात रहते है। प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज हो रहे है इसलिए

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहते है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है। वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स० बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता स० 329/258 हाल जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स० 384/328 की कुल 11.0550 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 मीना देवी पत्नी चुनीराम जाति जाट सा० देह खातेदार- प०न० 96/48(411) 2/2/2 0.120 हैक्ट, 3 की 0.253 हैक्ट, 8/2 की 0.126 हैक्ट, 13/2 की 0.126 हैक्ट, 18/2 की 0.127 किता 5 कुल रकबा 0.752 हैक्ट बारानी
- 2 सुमित्रा देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट सा० देह खातेदार- प०न० 96/48 (411) 2/2/1 की 0.120 हैक्ट, 8/1 की 0.127 हैक्ट, 13/1 की 0.127 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 18/1 की 0.126 हैक्ट किता 5 रकबा 0.753 हैक्ट बारानी
- 3 जेठी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त- प०न० 96/48(411) 4, 7, 14, 17, 24 की 1.265 हैक्ट किता 5 रकबा 1.265 हैक्ट बारानी
- 4 सोना देवी पत्नी बुधराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त- प०न० 96/48(411) 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 हैक्ट किता 5 रकबा 1.265 हैक्ट बारानी
- 5 सरोज पत्नी बृजलाल 1252/2503 हि०, बृजलाल पुत्र रामधन 1251/2503 हि० जाति ब्राहमण साकिन देह खातेदार राहिन बृजलाल हि० रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त-प०न० 117/21 (644) 19-20 की 0.506, 96/56(410) 1-10 की 0.506 हैक्ट, 2/1 की 0.240 हैक्ट, 4/1 की 0.227 हैक्ट, 7 की 0.227 हैक्ट, 8/2 की 0.051 हैक्ट, 13/2 की 0.214 हैक्ट, 19-22 की 0.506 हैक्ट कुल किता 11 रकबा 2.503 हैक्ट बारानी

अ  
उपजण्ड अधिकारी  
नोहर

- 6 बाबुलाल पुत्र रामधन जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त-प0न0 117/14(645) 16, 17, 24, 25 की 1.012 हैक्ट, 117/22(644) 21-22 की 0.506 किता 6 रकबा 1.518 हैक्ट बारानी
- 7 महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर मूर्त-प0न0 96/56(410) 3/1 की 0.228 हैक्ट, 8/1 की 0.202 हैक्ट, 9, 11, 12, 20, 21 की 1.265 हैक्ट कुल किता 7 रकबा 1.695 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
वाद पत्र सं० : 50 सन 2016

अनवान : -

1. सोना देवी पत्नी बुधराम जाति कुम्हार साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. जेठी देवी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम

1. मीना देवी पत्नी चुन्नीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
  2. सुमित्रा पत्नी दमीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
  3. राजेन्द्र
  4. महावीर
  5. कृष्ण
- पि० सुरजाराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
6. सरोज पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
  7. बाबुलाल पुत्र रामधन जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
  8. बृजलाल पुत्र रामधन जाति कुम्हार निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
  9. मैनेजर, स्टेट बैंक इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।
  10. मैनेजर, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।
  11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2012 निर्णय दिनांक 17/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स० बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता स० 329/258 हाल जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खाता स० 384/328 की कुल 11.0550 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. मीना देवी पत्नी चुन्नीराम जाति जाट सा० देह खातेदार- प०न० 96/48(411) 2/2/2 0.120 हैक्ट, 3 की 0.253 हैक्ट, 8/2 की 0.126 हैक्ट, 13/2 की 0.126 हैक्ट, 18/2 की 0.127 किता 5 कुल रकबा 0.752 हैक्ट बारानी
2. सुमित्रा देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट सा० देह खातेदार- प०न० 96/48 (411) 2/2/1 की 0.120 हैक्ट, 8/1 की 0.127 हैक्ट, 13/1 की 0.127 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 18/1 की 0.126 हैक्ट किता 5 रकबा 0.753 हैक्ट बारानी
3. जेठी पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त- प०न० 96/48(411) 4, 7, 14, 17, 24 की 1.265 हैक्ट किता 5 रकबा 1.265 हैक्ट बारानी
4. सोना देवी पत्नी बुधराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा० देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त- प०न० 96/48(411) 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 हैक्ट किता 5 रकबा 1.265 हैक्ट बारानी
5. सरोज पत्नी बृजलाल 1252/2503 हि०, बृजलाल पुत्र रामधन 1251/2503 हि० जाति ब्राहमण साकिन देह खातेदार राहिन बृजलाल हि० रहन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त-प०न० 117/21 (644) 19-20 की 0.506, 96/56(410) 1-10 की 0.506 हैक्ट, 2/1 की 0.240

अ. उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

- हैक्ट, 4/1 की 0.227 हैक्ट, 7 की 0.227 हैक्ट, 8/2 की 0.051 हैक्ट, 13/2 की 0.214 हैक्ट, 19-22 की 0.506 हैक्ट कुल किता 11 रकबा 2.503 हैक्ट बारानी
- 6 बाबुलाल पुत्र रामधन जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन आरएमजीबी शाखा बिरकाली मूर्त-प0न0 117/14(645) 16, 17, 24, 25 की 1.012 हैक्ट, 117/22(644) 21-22 की 0.506 किता 6 रकबा 1.518 हैक्ट बारानी
- 7 महावीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर मूर्त-प0न0 96/56(410) 3/1 की 0.228 हैक्ट, 8/1 की 0.202 हैक्ट, 9, 11, 12, 20, 21 की 1.265 हैक्ट कुल किता 7 रकबा 1.695 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 12/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर